

By Regd. Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request-139

To,

The District Judge,
Agra.

17
No. ~~16557~~ IV-3519 / Pension / Admin.(A) / Allahabad, Dated 20-10-2012

Subject: Regarding allotment of 'Account Number' for contribution under Contributory Pension Plan from pay.

Sir,

With reference to your endorsement no. 122/l, dated 13.01.2011 forwarding therewith a letter dated 12.01.2011 of Sri Harvir Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra, on the above subject, I am directed to return herewith application form of Sri Harvir Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra for allotment of 'Account Number' under Contributory Pension Plan and to request you kindly to send the aforesaid form of Sri Harvir Singh to the Director, Directorate of Pension, U.P., Indira Bhawan, 8th floor, Ashok Marg, Lucknow directly for necessary action.

Enclosure : As above.

Yours faithfully
Maharani Din
15/10/12
Deputy Registrar

18
No. 16558 IV-3519 / Pension / Admin.(A) / Allahabad, Dated 20-10-2012

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Harvir Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra with reference to his letter dated 12.01.2011.

Maharani Din
15/10/12
Deputy Registrar

S.O./A.R. (Admin A-1)/D.R. (M)

Approval of
Ld. R.G. is placed below -
May like to issue?

12.10.12
R.O.

B.A.M.
15/10/12
15-10-12
RR

18-11 27 फर

Saattal
25-1-11
Encl. (26)

25-1-11 2298

3519
11
3
11/2/11

18-5-12 10-3-11

21-1-12

21-5-12

Request-139

155
20-1-11

शोधक,
हरवीरसिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं02, आगरा।

सेवामें,
माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:-
श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक: 12-01-2011

26 2911

विषय:- परिभाषित अंशदान योजना संख्या आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

S. K. Y. M. महोदय,

JRC(M)
24-1-11

निवेदन है कि मेरी नियुक्ति उच्च न्यायिक सेवा के अन्तर्गत हुई थी तथा मेरे द्वारा आगरा में अपर जिला जज के पद पर दिनांक 15-12-2008 का कार्यभार ग्रहण किया गया था।

शासनादेश सं0 सा-3-1051/दस-2008-301(9)-2003 दिनांकित 14-8-2008के प्रकाश में, मैं अपना अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित कर रहा हूँ। जिसे आपके कार्यालय द्वारा निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को अंशदान योजना इण्डैक्स संख्या आवंटित किये जाने हेतु अग्रसारित किया जाना है।

JRC(M)

With Encl
26 page

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र को नियमानुसार अंशदान योजना इंडैक्स संख्या आवंटित किये जाने हेतु पेंशन निदेशालय को अग्रसारित करने की कृपा करें। ताकि मैं अपने वेतन से निगमानुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौतिया कर सकूँ।

पत्रांक सं0 122/I दिनांक 13-1-11 सादर।

अग्रसरित।

जिला जज, आगरा

भवदीय

(हरवीर सिंह)

दिनांक 12-01-2011

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 2, आगरा।

संलग्नक:-

यथोपरि तीन प्रतियाँ


Subhil Kanyadav
S.K.Y.
11-3-11

Shankar Singh
22/1/12

Request-139

अनुलग्नक-1

उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन-पत्र
(संदर्भ : शासनादेश संख्या सा-3-1051/दस-2008-301(9)-2003 दिनांक 14-0



परिभाषित अंशदान योजना इन्डेक्स नम्बर :

(पेंशन निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आवंटित किया जायेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : हरवीर सिंह
अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) : HARVIR SINGH
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : late श्रीवचन सिंह
3. लिंग : पुरुष स्त्री
4. वैवाहिक स्थिति: विवाहित अविवाहित
5. पदनाम : अपर जिला जज
6. कार्यालय का नाम : जिला न्यायालय, आगरा
7. आवेदक का सेवा संवर्ग : उच्च न्यायिक सेवा (H.S.S.)
8. सेवा में आने की तिथि : 15 Dec 2008
9. वेतनमान : Rs 16750, ग्रु0 वेतन: 51550/-
10. मूल वेतन : Rs 16750 ग्रु0वे. 51550/-
11. जन्म तिथि : 13-03-1967
12. क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ नहीं
13. श्रेणी:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य
पिछड़ा वर्ग/अन्य : (सांख्यिकीय उपयोग के लिए) अनु/अन्य
14. क्या नामांकन संलग्न है : हाँ नहीं
15. टिप्पणी, यदि कोई हो :

स्थान: आगरा


दिनांक 12-1-2011

Harvir Singh
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा

Request-139

- 7
- प्रमाणित किया जाता है कि
- (1) श्री/श्रीमती/कुमारी हरवीर सिंह नियमित कर्मचारी है एवं आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सही हैं।
- (2) श्री/श्रीमती/कुमारी हरवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सम्मिलित होने के पात्र है।


कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पूर्ण पता/कार्यालय की मुहर सहित

स्थान : आगरा

दिनांक : 13-1-11

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त आवेदन-पत्र पेंशन निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को दो प्रतियों में भेजा जायेगा।
2. आवेदक कर्मचारी वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में वाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशन निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को दो प्रतियों में आवेदन-पत्र, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से ही भेजा जायेगा।

नामांकन प्रपत्र

(उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु नामांकन)

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं

पेंशन योजना इंडेक्स नम्बर.....

में हरवीर सिंह एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता-पिता, बहन-भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :-

| नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित व्यक्ति की आयु | प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर) | आकरिमकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा | यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो जिन्हें/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- श्रीमती <u>वर्षा रानी</u> | <u>पति</u> | <u>60</u> | | | <u>श्रीमती वर्षा रानी</u> |
| 2- <u>शु. लाल</u> | <u>पुत्र</u> | <u>5</u> | | | |
| 3- <u>श्री देवराज वीर सिंह</u> | <u>पुत्र</u> | <u>2</u> | | | |
| 4- | | | | | |

दिनांक 12.1.11 मास जनवरी 2011

स्थान.....

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

- सुरेश चन्द नाम पता गठ नं० 26/58 निम्कर आजीवाषा हस्ताक्षर Selamudra
वसिष्ठ धर्म, कुवामन गैज कागरा।
- रघुवीर सिंह अभियोग काशीलम आगरा हस्ताक्षर रघुवीर सिंह


अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम : (हिन्दी में) हरवीर सिंह
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) HARVIR SINGH
पदनाम अप. गैज. अ.ग.

Handwritten signature/initials

कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्थान आगरा
श्री/श्रीमती/कुमारी हृदयेश सिंह का नाम हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पदनाम अपत प्रिन्सिपल


(कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)
जवा एवम सत्र न्यायाधीश
घाणरा 13-171

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक

अभिदाता के हस्ताक्षर

- (क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।
(ख) परिवार का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।
(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियों तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपरचात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अभिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करे कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अभिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतदपरचात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अभिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर रद्द न कर दे।

टिप्पणी-

- (1) "बच्चों" का तात्पर्य वैध बच्चों से है।
(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शास्त्री स्वीकृति विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जन्म बच्चे' (Natural Child) की प्राप्ति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।
(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।
(घ) स्तम्भ-5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।
(ङ) स्तम्भ-6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।
(च) अस्तित्व प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान को आर-पर लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

Request-1309

अनुलग्नक-2(क)

बाउचर / चालान संख्या.....
दिनांक.....
(कोषागार / बैंक द्वारा भर जायगा)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राजकीय सेवा)

वेतन से अंशदान कटौती का शेड्यूल / चालान माह.....20

जिला कोषागार / भुगतान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

मुख्य लेखाशीर्ष :

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

कार्यालय का नाम : जिला ज्वायलप हाशरा

आहरण / वितरण अधिकारी पदनाम : अप जिला जज

आहरण / वितरण अधिकारी कोड :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|

अनुदान संख्या :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| लेखाशीर्ष | 8342-अन्य जमा |
| लघु शीर्ष | 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम- |
| सपशीर्ष | 01- राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना- |
| विस्तृत शीर्ष | 01-राजकीय कर्मचारियों का अंशदान-टियर-1 |
| | 8 3 4 2 0 0 1 1 7 0 1 0 1 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम / पदनाम | मूल वेतन | महंगाई वेतन | महंगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति | |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|-----|--------------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | | |
| | | | | | | | | माह / वर्ष | धनराशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

फॉर्म-4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

अप जिला जज

Report-139

अनुलग्नक-2(ख)

चालान संख्या.....

दिनांक.....

(बैंक द्वारा भरा जायगा)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राजकीय सेवा)

पेंशनरी अंशदान के सम्बंध में शासनादेश संख्या-सा-1-885/दस-534(11)93 दिनांक 9 नवम्बर, 2006 से अनाच्छादित कर्मचारियों के लिए सेवायोजक के अंशदान का शेड्यूल/चालान माह.....20

जिला कोषागार/भुगतान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

कार्यालय/संस्था का नाम

जिला जज कार्यालय, जिला न्यायालय
अहमदाबाद

आहरण/वितरण अधिकारी (पदनाम):

जिला जज

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| लेखाशीर्ष | 8342-अन्य जमा |
| लघु शीर्ष | 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम- |
| उपशीर्ष | 01- राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना- |
| विस्तृत शीर्ष | 02-राज्य सरकार / सेवायोजक का अंशदान-टियर-1 |
| | 8 3 4 2 0 0 1 1 7 0 1 0 2 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम/पदनाम | मूल वेतन | महगाई वेतन | महगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति | |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|-----|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | | |
| | | | | | | | | माह/वर्ष | धनराशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

कालम-4 में की गयी मूल वेतन की प्रायोगिक सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

H. Chavhan

Request-139

Request - 2019

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लेखा का खाता (लेजर)

अनुलग्नक-3

कर्मचारी का नाम **हरकोट सिंह** पितृगत एवं

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्स्ट्रुमेंट नंबर **2008-9**

व्यय कर

(भारतीय रुपये में)

| भुगतान का मास | उत्पन्न / अयोग्य वेतन / महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि | कर्मचारी बाउंडरी / कर्मचारी संख्या और विभाजक | व्यय कर / चालान की धारणा | लेखासूची | कर्मचारी का अंशदान | शेड्यूल की धारणा का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी हो। | राज्य सरकार / निदेशक का अंशदान | योग (अंश 6 + 8) | मासिक क्रमगत योग | आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अप्रैल | | | | | | | | | | |
| मई | | | | | | | | | | |
| जून | | | | | | | | | | |
| जुलाई | | | | | | | | | | |
| अगस्त | | | | | | | | | | |
| सितंबर | | | | | | | | | | |
| अक्टूबर | | | | | | | | | | |
| नवंबर | | | | | | | | | | |
| दिसंबर | | | | | | | | | | |
| जनवरी | | | | | | | | | | |
| फरवरी | | | | | | | | | | |
| मार्च | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | | |
| ** | योग | | | | | | | | | |

वार्षिक लेखा बन्दी के खाते

सत्यापन

- क- आरंभिक शेष जमा/देब
- ख- (1) वर्ष में निश्चित जमा
- (2) आरंभिक शेष एवं निश्चित जमा पर व्याज
- (3) वर्ष में अवशेष जमा
- (4) अवशेष जमा पर व्याज
- (5) योग (1 से 4 तक)
- महंगाई (क-ख) (5)


द्वारा सत्यापन किया गया।

द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।

कार्यालय/आध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

निश्चित वेतन वित्त के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की घटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किया जाएगा। ब्याज सम्बन्ध अवधि के अनुसार आगमित किया जाएगा।

Request-139




उत्तर प्रदेश सरकार
अंशदायी पेंशन पास-बुक

नाम HARVIR SINGH (A.D.J.)

परिभाषित अंशदान पेंशन इन्डेक्स नम्बर _____

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-रा-3-1051/दरा-2008-301(9) 2003,
दिनांक 14-08-2008 द्वारा निर्धारित।



उत्तर प्रदेश सरकार
अंशदायी पेंशन पास-बुक

Request-139

नाम HARVIR SINGH, (A.D.J.)

परिभाषित अंशदान पेंशन इन्डेक्स नम्बर _____

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1051/दस-2008-301(9) 2003,
दिनांक 14-08-2008 द्वारा निर्धारित।

प्रेषक,

हरवीरसिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं02, आगरा।

सेवामें,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

Request-139

दिनांक: 12-01-2011

विषय:- परिभाषित अंशदान योजना संख्या आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरी नियुक्ति उच्च न्यायिक सेवा के अन्तर्गत हुई थी तथा मेरे द्वारा आगरा में अपर जिला जज के पद पर दिनांक 15-12-2008 का कार्यभार ग्रहण किया गया था।

शासनादेश सं0 सा-3-1051/दस-2008-301(9)-2003 दिनांकित 14-8-2008के प्रकाश में, मैं अपना अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित कर रहा हूँ। जिसे आपके कार्यालय द्वारा निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को अंशदान योजना इण्डैक्स संख्या आवंटित किये जाने हेतु अग्रसारित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र को नियमानुसार अंशदान योजना इण्डैक्स संख्या आवंटित किये जाने हेतु पेंशन निदेशालय को अग्रसारित करने की कृपा करें। ताकि मैं अपने वेतन से नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौतिया करा सकूँ।

सादर।

पत्रांक सं० 122/1 दिनांक 13-1-11

अग्रसारित

जिला जज, आगरा

भवदीय

(हरवीर सिंह)

दिनांक 12-01-2011

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 2, आगरा।

संलग्नक:-

यथोपरि तीन प्रतियों में।

अनुलग्नक-1


Request-139

उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन-पत्र

(संदर्भ : शासनादेश संख्या सा-3-1051/दस-2008 301(9)-2003 दिनांक 14 08 2008)

परिभाषित अंशदान योजना इन्डेक्स नम्बर :

(पेंशन निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आवंटित किया जायेगा)



1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : हरवीर सिंह

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) : HARVIR SINGH

2. आवेदक के पिता/प्रति का नाम : (ब. शिवचरन सिंह)

3. लिंग :

पुरुष

स्त्री

4. वैवाहिक स्थिति: विवाहित

अविवाहित

5. पदनाम :

अपर जिला जज, आगरा

6. कार्यालय का नाम :

जयवंद - मासिक, आगरा

7. आवेदक का सेवा संवर्ग :

उच्च-मासिक सेवा

8. सेवा में आने की तिथि : 15 Dec, 2008

9. वेतनमान : Rs. 16750 -

10. मूल वेतन : Rs. 16750

11. जन्म तिथि : 13.03-1967

12. क्या नियमित नियुक्ति है :

हाँ

नहीं

13. श्रेणी:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य

अन्य/प्र.व

पिछड़ा वर्ग/अन्य : (सांख्यिकीय उपयोग के लिए)

14. क्या नामांकन संलग्न है

हाँ

नहीं

15. टिप्पणी, यदि कोई हो :

स्थान: आगरा

दिनांक 12-1-2011

Harvir Singh
आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक
(अनुलग्नक-1 के साथ)

नामांकन प्रपत्र

(उत्तर प्रदेश परिभाषित अश्वदान पेंशन योजना हेतु नामांकन)

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं

पेंशन योजना इंडेक्स नम्बर.....

मैं..... एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता-पिता, बहन-भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :-

| नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित व्यक्ति की आयु | प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर) | आकरिमकताएं, जिनके होने पर नाम अद्वेष हो जायेगा | यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेगे। |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1- <u>श.मते वकील रानी</u> | <u>पति</u> | <u>४०</u> | <u>५०।</u> | | <u>श.मते वकील रानी</u> |
| 2- <u>शु. लालवी सिंह</u> | <u>पुत्री</u> | <u>५</u> | <u>२५।</u> | | |
| 3- <u>श. देवाशंकर सिंह</u> | <u>पुत्र</u> | <u>२</u> | <u>२५।</u> | | |
| 4- | | | | | |

दिनांक 12 मास जुलै 2011

स्थान आगरा

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

नाम
सुरेश चन्द
1-
2- रघुवीर सिंह

पता
क० न० १६/158 नि.कर कार्यालय
नर्सिंग इकाई अश्वदान पेंशन, आगरा
अभि योजना कार्यालय आगरा

हस्ताक्षर
Sehans
रघुवीर सिंह

Haleem
अभिदाता के हस्ताक्षर
नाम : (हिन्दी में) हरवीर सिंह
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) HARVIR SINGH
पदनाम अपर जिला जज

Red Book-139

कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्थान आगरा
श्री/श्रीमती/कुमारी हरवीर सिंह का नाम हस्ताक्षर (दिनांक सहित).....
पदनाम उप-प्र. प्रिन्ट. ऑफ.

(कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)
1/6 चिंता पता बन व्यायाधीन
मुहूरत
घाणस 13-1-11

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक.....

अभिदाता के हस्ताक्षर

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।

(ख) 'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपरचात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अधिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करे कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतदपरचात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर रद्द न कर दे।

टिप्पणी-

(1) "बच्चों" का तात्पर्य वेध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शास्त्री स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारज बच्चे' (Natural Child) की प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।

(घ) स्तम्भ-5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की, मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।

(ङ) स्तम्भ-6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।

(च) अन्तिम प्रतिष्ठि के नीचे के खाली स्थान के आर-पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

Request-139

अनुलग्नक-2(क)

वारंवार/चालान संख्या.....
दिनांक.....
(कोषागार/बैंक द्वारा भरा जायगा)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राजकीय सेवा)

वेतन से अंशदान कटौती का शेषमूल/चालान माह.....20

जिला कोषागार/मुग्तान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड :

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

मुख्य लेखाशीर्ष :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

कार्यालय का नाम :

जिला न्यायालय आगरा

आहरण/वितरण अधिकारी पदनाम :

अपर जिला जज

आहरण/वितरण अधिकारी कोड :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|

अनुदान संख्या :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| लेखाशीर्ष | 8342-अन्य जमा |
| लघु शीर्ष | 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम- |
| उपशीर्ष | 01- राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना- |
| विस्तृत शीर्ष | 01-राजकीय कर्मचारियों का अंशदान-टिपर-1 |
| | 8 3 4 2 0 0 1 1 7 0 1 0 1 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम/पदनाम | मूल वेतन | महंगाई वेतन | महंगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | अभ्युक्ति | | |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----|--------------------|----------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | | |
| | | | | | | | | माह/वर्ष | | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

जालम-4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवानुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

अपर जिला जज

Redacted-139

अनुक्रमक-2(ख)

चालान संख्या.....

दिनांक.....

(बैंक द्वारा भरा जाएगा)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राजकीय सेवा)

पेंशनरी अंशदान के सम्बंध में शासनादेश संख्या-सा-1-885/दस-534(11)93 दिनांक 9 नवम्बर, 2006 से अनाच्छादित कर्मचारियों के लिए
सेवायोजक के अंशदान का शेड्यूल/चालान माह.....Dec.....2008

जिला कोषागार/भुगतान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

कार्यालय/संस्था का नाम : जिला व्यायाम्य अफसर

आहरण/वितरण अधिकारी (पदनाम): अपर जिला जज

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| लेखाशीर्ष | 8342-अन्य जमा |
| लघु शीर्ष | 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम- |
| उपशीर्ष | 01- राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना- |
| विस्तृत शीर्ष | 02-राज्य सरकार / सेवायोजक का अंशदान-टिप्पर-1 |
| | 8 3 4 2 0 0 1 1 7 0 1 0 2 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम/पदनाम | मूल वेतन | महगाई वेतन | महगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति | |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|-----|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | | |
| | | | | | | | | माह/वर्ष | धनराशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

कालम-4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

अपर जिला जज

Report-139

Revised-139

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लेखा का खाता (लेजर)

अनुलग्नक-3

कार्यकारी का नाम हरवीर सिंह वित्तीय वर्ष 2008-09 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्स्ट्रुक्स नम्बर _____ बाज दर _____ (धनराशि रुपये में)

| मुग्तान का मास | देतन/अवकाश क्षेत्र/महंगाई भत्ते की संख्या अवधि | कोषागार बाउण्डरी/घालान संख्या और दिनांक | बचहर/वाटन की घनराशि | लेखासीध | कार्यकारी का अंशदान | शेड्यूल की घनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी है। | राज्य सरकार/निधोष्ठा का अंशदान | योग (कालम 6+8) | मासिक क्रानगत योग | आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अप्रैल | | | | | | | | | | |
| मई | | | | | | | | | | |
| जून | | | | | | | | | | |
| जुलाई | | | | | | | | | | |
| अगस्त | | | | | | | | | | |
| सितम्बर | | | | | | | | | | |
| अक्टूबर | | | | | | | | | | |
| नवम्बर | | | | | | | | | | |
| दिसम्बर | | | | | | | | | | |
| जनवरी | | | | | | | | | | |
| फरवरी | | | | | | | | | | |
| मार्च | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | | |
| ** | योग | | | | | | | | | |

वार्षिक लेखा बन्दी के त्तारे

- क- प्रारम्भिक शेष जोड़िए
- ख- (1) वर्ष में नियमित जमा
- (2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर व्याज
- (3) वर्ष में अवशेष जमा
- (4) अवशेष जमा पर व्याज
- (5) योग (1 से 4 तक)

द्वारा साक्ष्यन किया गया।

द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।

कार्यालय/आयुक्त / आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

नियमित देतन मिलने के अलावा अवशेष देतन, अवशेष महंगाई भत्ते एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती के सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे, यथाक सम्बन्ध अवधि के अनुसार अंकित किया जायेगा।



उत्तर प्रदेश सरकार
अंशदायी पेंशन पास-बुक

Request-139

नाम HARVIR SINGH (A.D.J.)
परिभाषित अंशदान पेंशन इन्डेक्स नम्बर _____

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1051/दस-2008-301(9) 2003,
दिनांक 14-08-2008 द्वारा निर्धारित।